OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL, GONDIA.

CERTIFICATE

Certificate about Resolution of General Body Municipal Council.

This is to certify that the Resolution No.27 of General Body Meeting held on dt.11-8-2006 is still under force. There is no objection nor any ammendment till then February, 2018.

Chief Officer, Municipal Council, Gondia. गोंदिया नगर परिषद की आम सभा दि.29.11.2008 के विषय कं.18 की सत्यप्रतिलिपी :-

विषय नं.18 :- आमसभा दि.11.8.2006 को विषय कं.27 अनुसार म.प्रा. व नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 37 अंतर्गत कार्यवाही की गई । समय के भितर आक्षेप हरकती प्राप्त न होने से संजयनगर, सुंदरनगर और संत कंवरराम वार्ड की जगह निवासी क्षेत्र में समाविष्ट करने हेतु अंतिम मंजुरी देने बाबद सभा में विचार विमर्श कर निर्णय हेतु पेश ।

टिप्पणी : प्रस्ताव सभा व्यारा नियमों के अधिन रहते हुये मंजुरी प्रदान की जाय । आमसमा दि.11.8.2006 को विषय कं.27 अनुसार म.प्रा. व नगर रचना अधिनियम 1966 के कलम 37 अंतर्गत कार्यवाही की गईं। समय के मितर आक्षेप हरकती प्राप्त न होने से संजयनगर, सुंदरनगर और संत कंवरराम वार्ड की जगह निवासी क्षकंत्र में समाविष्ट करने हेतु अंतिम मंजुरी देने बाबद सभा के विचार विमर्श कर निर्णय हेतु पेश किया गया । सदर प्रस्ताव चुकी पुरी कार्यवाही हाने के पश्चात अंतिम मंजुरी हेतु सदर केक समक्ष रखा गया इसलिये इसे सर्वानुमते मंजुर किया गया।

प्रस्तावक :- श्री गोविंदमाऊ शेंडे अनुमोदक :- श्री शकील मंसुरी

> स्वा/-अध्यक्ष, नगर पालिका, गाँदिया



Certified copy of subject No.18 meeting held on dated 29-11-2008 General Body meeting Gondia Municipal Council, Gondia.

Resolution No.18:-

The matter was discussed on subject No.27 in its General body meeting held on dated 11-8-2006 to make a proposal of minor modification of MRTP Act.1966 u/s 37. This is to suggestions & objections to be consider of the land was included in residential zone of Sanjaynagar, Sundernagar & Sant kavarram ward for consideration of final aparoval. To take necessary action suggestion & objection and the land is included in residential zone..

Notes

Genereal Body has passed resolution as per rules & regulations.

Resolution :-

There is no any suggestion & objection received to the Municipal Council as per the MRTP Act.u/s 37 which was discuss in General Body on dt.11-8-2006 subject No.27. There is no any objection & suggestion hence the matter to be consider in residential zone for final approval the whole procedure to be complited as above therefore the final approval may be consider.

Proposer :- Smt.Chetana Parate Seconder :- Shri Mayur Jadeja

A

Sd/-illegible President, Municipal Council,Gondia.

Certified copy of Resolution No.27 General Body meeting held on dated 11-8-2006.

Resolution No.27 :-

Site No.175 Garden, Site No.176 (Play Ground), Site No.177 (Primary School), Site No.178 Extention of Irrigation Deptt., Site No.192 (Park), Site No.112 (Shopping Centre), Site No.115 (Dispensary & Library), Site No.205-A (Police Station & Quarter), Site No.63 (Play Ground), Site No.64 (Play Ground), Site No.65 (High School), Site No.32 (play Ground), Site No.31 (Housing for dishoused & economically weaker section), Site No.26 (Garden), Site No.27 (High School), Site No.77 (Play Ground) is deleted & included in residential zone for final approvals.

Resolution

The land which is in Sanjaynagar which is affected Site No.175 (Garden), Site No.176 (Play Ground), Site No.177 (Primary School), Site No.178 Extention of Irrigation Deptt., Site No.192 (Park), Municipal Council, Gondia has provided the ammenties i.e.road, Drain, Electricity, Hand Pump & Public Latrine in the Sanjaynagar hutment slum area. Site No.175 (Garden), Site No.176 (Play Ground), Site No.177 (Primary School), Site No.192 Garden reservations are to be deleted & included in residential zone in this matter. Therefore subject wazs discuss general body meeting held on 26-12-2000 in this matter the notice should be published.

Accordingly at sawaratoli, subhash ward, Site No.112 (Shopping Centre), Site No.115 (Dispensary & Library), Site No.116 (Shopping Centre & Vegetable Market), Site No.118 (High School), Site No.119 (Primary School) in Sundernagar Site No.78 (Town recreation centre) in Marartoli, Site No.205 (Primary School & Staff Quarter) in Ambedkar Ward of Site No.63 (P.G.) Site No.64 (P.G.) Site No.64 (Garden), Site No.65 (H.S.) in Ramabai Ambedkar Ward Site No.32 (P.G.) Site No.31 (House for dishoused Site

No.26(Garden) in Sant kawarram Ward of site No.77 (P.G.) in this reservation the above site is affected from the slum municipal council has provided the ammenties in this in slum i.e.road, drains, electric, hand pump & public latrine. In above matter. As per Govt. policy of regularization of slum which of existence prior of 1995. As the above reservations are affected from reservation which municipal council has decided to change the user of subsequent land of MRTP Act. 1966 u/s 37 and submit the proposal for prior approval of Government.

Proposer :- Smt.Chetana Parate Seconder :- Shri Mayur Jadeja

CHIEF OFFICER

Sd/-illegible President, Municipal Council,Gondia.

गोंदिया नगर परिषद की आम सभा दि.11.8.2006 की प्रोसिडिंग्ज के विषय के. 27 की सत्यप्रतिलिपी :-

विषय नं.27 :- आरक्षण कं.175(बंगीचा) आ.कं.176(खेल का मैदान) आ.कं. 177(प्राथमिक शाला) आ.कं. 178(पाटबंधारे कार्यालय विस्तार) आ.कं. 192(पार्क) आ.कं.112(शॉपिंग सेंटर) आ.कं.115(दवाखाना तथा वाचनालय) आ.कं.205-ए (पोलीस स्टेशन व क्वार्टर) आ.कं.63(खेल का मैदान) आ.कं.64(बंगीचा) आ.कं.65(हायस्कुल) आ.कं.32(खेल का मैदान) आ कं.31(बेघरबार के लिये घर तथा आर्थिक दृष्टी से कमजोर घटक के लिये) आ.कं.26(बगीचा) आ.कं.27(हायस्कूल) आ.कं.77(खेल का मैदान) को आरक्षण से मुक्त कर निवासी क्षेत्र में समाविष्ट करने बाबद समा के विचारार्थ पेश ।

प्रस्ताव :-

7018 mil

सभा में जानकारी दि गई कि,संजयनगर में जो झोपडपटटी स्थित है वह आरक्षण कं.175(बगीचा) आ.कं.176(खेल का मैदान) आ.कं. (प्राथमिक शाला) आ.कं.178(पाटबंधारे कार्यालय विस्तार) 192(पार्क के आरक्षण से बाधीत जमीन पर है तथा उक्त झोपडपटटी में नगर परिषद व्दारा रस्ते,नालिया,विघुत व्यवस्था हातपंप तथा सार्वजनिक संडास की सुविधायें उपलब्ध कराई गयी है । आ.कं. 175(बंगीचा) आ.कं.176(किंडांगण) 177(प्राथमिक शाला) तथा 192 (बगीचा) आरक्षण से मुक्त करने हेतु नगर परिषद की आमसभा दिनांक 26.12.2000 अन्वये प्रस्ताव पारित किया है तथा उपरोक्त संदर्भ में सुचना प्रकाशित की गई है।

उसी प्रकार सावराटोली सुभाष वार्ड में आरक्षण कं.112(शॉपिंग सेंटर) आ.कं.115(दवाखाना तथा वाचनालय) आ.कं.116(दुकान संकुल तथा भाजीपाला बाजार) 118(हायस्कुल) आ.कं.119(प्राथमिक शाला) सुंदरनगर में आ.कं.78(टाऊन रिबिकेशन सेंटर) मरारटोली मे आ.कं. 205(पोलीस स्टेशन व क्वार्टर) आंबेडकर वार्ड में आ.कं.63(खेल का मैदान) आ.कं.64(खेल का मैदान) आ.कं.64(बगीचा) 65(हायरकुल) रमाबाई आंबेडकर वार्ड में आ.कं.32(खेल का मैदान) आ.कं.31(बेघरबार के लिये घर) आ.कंद्व26(बगीचा) 26(हायस्कुल) संतकंवरराम वार्ड मं आ.कं.77(खेल का मैदान) के आरक्षण की जगह पर झोपडपटटीयाँ स्थित है । इस झोपडपटटीयाँ म नगर परिषद व्दारा रस्ते,नालीयाँ,विघुत व्यवस्था,हातपंप तथा सार्वजनिक संडास की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है।

उपरोक्त झोपडपटटीयाँ सन 1995 के पूर्व की है और ऐसी समी झोपडपटटीयों को नियमानुकूल करने का शासन का धोरण है । किंत् विकास योजना आराखडा के आरक्षण जिस जगह बाधीत होते है इस बारें में महाराष्ट्र प्रादेशिक तथा नगर रचना अधिनियम 1966 की कलम 37 के तहत फोरबदल का प्रस्ताव शासन को भेजना आवश्यक है। अत:यह सभा निर्णय लेती है कि, उपरोक्त सभी आरक्षण की जमीन आरक्षण से मुक्त कर निवासी क्षेत्र में समाविष्ट किया जाय इस बाबद शासन को मंजूरी हेत् प्रस्ताव मेजा जाय ।

प्रस्तावक :- श्रीमती चेतना पराते अनुमोदक :- श्री मयर जडेजा

CHIEF OFFICER MUNICIPAL TO NOTA

स्वा/-अध्यक्ष, नगर पालिका, गाँदिया